

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2419] No. 2419] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 03, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 03, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

का.आ. 2650(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 454 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अधिसूचना संख्या 831(अ) दिनांक 24 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना का आगे और संशोधन करने हेत् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, तीसरे कॉलम की क्रम संख्या 11 में "पदनाम" शीर्षक के अधीन "कंपनी रजिस्ट्रार, शिलांग" शब्दों के स्थान पर "कंपनी रजिस्ट्रार, गुवाहाटी" शब्द रखें जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/16/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 831(अ) तारीख 24 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ. 5459(अ) तारीख 26 अक्तूबर, 2018 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

S.O. 2650(E).—In exercise of the powers conferred by section 454 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published *vide* number S.O. 831 (E), dated the 24th March, 2015, namely:—

3811 GI/2019 (1)

In the said notification, in the Table, against serial number 11, in the third column under the heading "Designation", for the words "Registrar of Companies, Shillong", the words "Registrar of Companies Guwahati." shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/16/2013 -CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 831(E), dated the 24th March, 2015 and subsequently amended *vide* number S.O. 5459(E), dated the 26th October, 2018.